

17.08.2021

आवेदक अनुपस्थित, द्वारा कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं।

प्रकरण आज पंजीयन पर तर्क हेतु नियत है।

आवेदक की बार-बार पुकार लगवाई गई किन्तु उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं है और न ही स्वयं आवेदक उपस्थित है।

प्रकरण अपरान्ह अवकाश पश्चात आवेदक की उपस्थिति हेतु प्रस्तुत हो।

सही / -

(कृष्णदास महार)

जिला न्यायाधीश पांडुर्णा

जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)।

पुनश्च:

आवेदक अनुपस्थित, द्वारा कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं।

आवेदक की पुनः बार-बार पुकार लगवाई गई। आवेदक की ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं है और न ही स्वयं आवेदक उपस्थित है जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण में कोई रुचि नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

प्रकरण का सांख्यिकीय प्रयोजन से अपंजीयत सिविल के रूप में पंजीबद्ध किया जावे।

प्रकरण का परिणाम सी0आई0एस0 में दर्ज कर प्रकरण विहित अवधि में अभिलेखागार भेजा जाये।

सही / -

(कृष्णदास महार)

जिला न्यायाधीश पांडुर्णा

जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)।